सिविल सेवा परीक्षा...

संस्कृति IAS

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

भाग-1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा...

संस्कृति IAS

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

भाग-1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

9555-124-124 sanskritiiasedu@gmail.com

प्रिय विद्यार्थी,

सबसे पहले संस्कृति IAS के 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' का हिस्सा बनने पर आपको बहुत बधाई।

सिविल सेवा परीक्षा, जिसे आई.ए.एस. परीक्षा के नाम से जाना जाता है; यह देश की प्रतिष्ठित लोक सेवाओं में चयन के लिये आयोजित होने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षा है। आज देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो सिविल सेवाओं में जाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। परंतु, गंभीरतापूर्वक इस परीक्षा की तैयारी करना हर किसी के लिये संभव नहीं हो पाता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिये दिल्ली, प्रयागराज या लखनऊ जैसे शहरों में रहना किसी भी निम्न-मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी के लिये संभवप्राय नहीं होता; दूसरा, एक बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की भी है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिये मुख्य समस्या समय की होती है क्योंकि कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी करने में डेढ़-दो वर्ष का समय लगता है, जबकि नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मिलनी प्राय संभव नहीं होती।

ऐसे ही विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS ने 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' की शुरुआत की है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कम फीस में विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स की पूरी पाठ्य सामग्री उनके घर पर भेजी जाती है। यह पाठ्य सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होती है। अगर कोई विद्यार्थी गंभीरता से इस पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है तो उसकी इतनी तैयारी निश्चित रूप से हो जाएगी कि वह सिविल सेवा परीक्षा को पास कर सके।

हालाँकि, किसी भी विद्यार्थी के दिमाग में यह संशय उत्पन्न होना स्वभाविक है कि अगर इस पाठ्य सामग्री को पढ़कर यह परीक्षा पास हो सकती है तो फिर कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है? अत: यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सिर्फ संपूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्लासरूम प्रोग्राम में पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त विद्यार्थी की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिये कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे नियमित कक्षा, क्लास टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, शंका निवारण सत्र, नियमित रूप से अध्यापक से मिलकर तैयारी को बेहतर बनाने की सुविधा इत्यादि।

अत: 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' को क्लासरूम प्रोग्राम का विकल्प नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि, ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश दिल्ली या प्रयागराज जैसे शहरों में जाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिये 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' अपनी प्रकृति में निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ विकल्प है।

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक, उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

विषय-सूची

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
1	भारतीय राजव्यवस्था : एक परिचय (Indian Polity : An Introduction)	1-16
2	संवैधानिक विकास (Constitutional Development)	17-31
3	संरचना (Structure)	32-42
4	उद्देशिका/प्रस्ताव (Preamble)	43-51
5	संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र (Union and its Territory)	52-57
6	नागरिकता (Citizenship)	58-67
7	मूल अधिकार (Fundamental Rights)	68-87
8	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)	88-96
9	मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)	97-100
10	संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)	101-112
11	संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)	113-118
12	संघीय विधायिका (The Union legislative)	119-180

❑❑❑❑❑

विस्तृत अनुक्रम

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
1	**भारतीय राजव्यवस्था : एक परिचय (Indian Polity : An Introduction)**	**1-16**
	• राज्य ➤ राज्य के तत्त्व ➤ राज्य के प्रकार ➤ राज्य के अधिकारों/कर्तव्यों पर मॉन्टेवीडियो सम्मेलन ➤ राज्य के कार्यों के सिद्धांत • संविधान ➤ संविधान की आवश्यकता ➤ संविधान का विकास ➤ संविधान का वर्गीकरण ➤ संविधान का महत्त्व • संविधानवाद ➤ संविधानवाद की अवधारणा ➤ संविधानवाद के मुख्य तत्त्व ➤ संवैधानिक विधि ➤ विधियों के प्रकार ➤ संविधान और अन्य विधियों में अंतर • सरकार के अंग ➤ विधायिका ➤ कार्यपालिका ➤ न्यायपालिका • शासन प्रणालियाँ ➤ शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार • लोकतंत्र ➤ लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण ➤ लोकतंत्र के प्रकार	
2	**संवैधानिक विकास (Constitutional Development)**	**17-31**
	• परिचय • कंपनी का शासन ➤ रेगुलेटिंग एक्ट ➤ पिट्स इंडिया एक्ट ➤ चार्टर एक्ट ➤ चार्टर एक्ट ➤ चार्टर एक्ट ➤ चार्टर एक्ट • क्राउन का शासन (1858-1947) ➤ भारत सरकार अधिनियम ➤ भारत परिषद् अधिनियम ➤ भारत परिषद् अधिनियम ➤ भारत परिषद् अधिनियम : मार्ले-मिंटो सुधार ➤ भारत शासन अधिनियम : मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार ➤ भारत शासन अधिनियम • कैबिनेट मिशन प्लान ➤ दीर्घकालिक योजना ➤ संविधान सभा से संबंधित प्रावधान ➤ अल्पकालिक योजना • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम • संविधान सभा की मांग • स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की स्थिति • संविधान सभा का गठन • संविधान सभा की कार्यप्रणाली • संविधान सभा के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ ➤ चुनौतियों का समाधान • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा संविधान सभा में परिवर्त ➤ संविधान सभा की समितियाँ ➤ प्रारूप समिति ➤ संविधान की स्वीकृति	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
3	**संरचना (Structure)**	**32-42**
	• भारतीय संविधान की विशेषताएँ ➤ लिखित और विशाल संविधान ➤ संविधान की सर्वोच्चता ■ कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण ■ संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव ■ संसदीय व्यवस्था ■ स्वतंत्र न्यायपालिका ➤ संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय ■ प्रभुत्वसंपन्न राज्य ■ समाजवादी राज्य ■ लोकतांत्रिक गणराज्य ■ पंथनिरपेक्ष राज्य ■ एकल नागरिकता ■ मौलिक अधिकार ■ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व ■ कल्याणकारी राज्य की स्थापना ➤ आपालकालीन प्रावधान ➤ त्रिस्तरीय सरकार ➤ सहकारी समितियाँ ➤ संविधान के स्रोत ➤ भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक ➤ भारतीय संविधान की आलोचना ■ भारतीय संविधान उधार का थैला है ■ वकीलों का स्वर्ग ■ भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नकल	
4	**उद्देशिका/प्रस्ताव (Preamble)**	**43-51**
	• उद्देशिका/प्रस्तावना ➤ संविधान के उद्देशिका की विषय वस्तु ➤ उद्देशिका के मूल तत्त्व ➤ संविधान के अधिकार का स्रोत ➤ भारत का स्वरूप ■ प्रभुत्व-संपन्न ■ समाजवादी ■ पंथनिरपेक्ष ■ लोकतांत्रिक ■ गणराज्य ➤ संविधान का उद्देश्य ■ न्याय ■ सामाजिक न्याय ■ आर्थिक न्याय ■ राजनीतिक न्याय ❖ स्वतंत्रता ❖ समानता ❖ स्वतंत्रता ❖ बंधुता ❖ व्यक्ति की गरिमा ❖ राष्ट्र की एकता तथा अखंडता ❖ बंधुत्व ➤ उद्देशिका का महत्त्व ➤ उद्देशिका की सीमाएँ/ आलोचना ➤ संविधान के भाग के रूप में उद्देशिका ➤ उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं?	
5	**संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र (Union and its Territory)**	**52-57**
	• संवैधानिक उपबंध ➤ राज्यों का संघ ➤ नए राज्यों की स्थापना ➤ राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति ■ प्रक्रिया ➤ देशी रियासतों का एकीकरण ➤ मौलिक संविधान में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण ➤ अन्य यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय ➤ राज्य पुनर्गठन आयोग ■ धर आयोग ■ फज़ल अली आयोग	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
6	**नागरिकता (Citizenship)**	**58-67**
	• नागरिकता ➤ भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर ■ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार ■ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार ➤ संवैधानिक प्रावधान ➤ संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ■ अधिवास द्वारा नागरिकता ■ पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता ■ पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता ■ भारत के बाहर भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता ➤ नागरिकता का अर्जन ■ जन्म से नागरिकता ■ वंशक्रम से नागरिकता ■ पंजीकरण द्वारा नागरिकता ■ देशीयकरण द्वारा नागरिकता ■ अर्जित भू-भाग के शामिल होने पर ➤ नागरिकता की समाप्ति ■ नागरिकता का परित्याग ■ दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर ■ नागरिकता से वंचित किया जाना ➤ विदेशी निवासियों की वैधानिक स्थिति ■ अनिवासी भारतीय (NRIs), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) तथा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCIs) के संबंध में प्रावधान ➤ विदेशी निवासियों की वैधानिक स्थिति की तुलना ➤ एकल नागकिरता ➤ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ➤ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के मुख्य प्रावधान ➤ नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 से संबंधित चिंताएँ	
7	**मूल अधिकार (Fundamental Rights)**	**68-87**
	• मूल अधिकार ➤ मूल अधिकारों की विशेषताएँ ➤ मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद ➤ राज्य की परिभाषा ➤ मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ ➤ अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संबंध ➤ उच्चतम न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ तथा परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत ➤ पृथक्करण का सिद्धांत ➤ आच्छादन का सिद्धांत ➤ अधित्याग का सिद्धांत ➤ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) ➤ विधि के समक्ष समता ■ विधियों का समान संरक्षण ➤ समता के अपवाद ➤ कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध ➤ लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ➤ अस्पृश्यता का अंत ➤ उपाधियों का अंत ➤ स्वतंत्रता का अधिकार ■ वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण ■ अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण ■ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ■ शिक्षा का अधिकार ■ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ■ शोषण के विरुद्ध अधिकार ■ मानव के दुर्व्यापार और बालात्श्रम का प्रतिषेध ■ कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ➤ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ■ अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ■ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ■ धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता ■ कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ➤ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ■ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ■ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ➤ कुछ अधिनियमों/विनियमों का संरक्षण एवं विधि मान्यकरण ➤ संवैधानिक उपचारों का अधिकार ■ विभिन्न रिट ■ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्तियों में अंतर ➤ मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध ➤ सशस्त्र बल और मूल अधिकार ➤ मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल ➤ मूल अधिकारों का महत्त्व	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
8	**राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)**	**88-69**
	• राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व ➤ अवधारणा ➤ संवैधानिक उपबंध एवं उद्देश्य ■ उद्देश्य ➤ राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ ➤ राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण ■ समाजवादी तत्त्व ➤ उदारवादी तत्त्व ➤ गांधीवादी तत्त्व ➤ राज्य के नीति निदेश तत्त्वों में संवैधानिक संशोधन ■ 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ■ 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ■ 96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ■ 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ➤ संविधान के भाग-4 से बाहर के नीति-निदेशक तत्त्व ➤ मूल अधिकार और निदेशक तत्त्वों में संबंध ➤ नीति-निदेशक तत्त्वों की आलोचना ➤ राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का महत्त्व ■ प्रमुख विचारकों का नीति-निदेशकों के संबंध में विचार ➤ निदेशक तत्त्वों का महत्त्व	
9	**मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)**	**97-100**
	• मूल कर्तव्य ➤ अवधारणा ➤ संवैधानिक उपबंध ➤ मूल कर्तव्यों के स्रोत ➤ स्वर्ण सिंह समिति ➤ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य ➤ मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ ➤ मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन ➤ मूल कर्तव्यों से अपेक्षाएँ ➤ मूल कर्तव्यों का महत्त्व ➤ मूल कर्तव्यों की आलोचना	
10	**संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)**	**101-112**
	• संविधान का संशोधन ➤ संविधान संशोधन की प्रक्रिया ➤ संविधान संशोधनों के प्रकार ➤ संसद के साधारण बहुमत द्वारा ➤ संसद के विशेष बहुमत द्वारा ➤ संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ➤ संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना ➤ संविधान संशोधन का महत्त्व ➤ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन	
11	**संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)**	**113-118**
	• अवधारणा ➤ संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ ➤ संसदीय प्रणाली के सकारात्मक पक्ष ➤ संसदीय प्रणाली के नकारात्मक पक्ष ➤ संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण ➤ भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
12	**संघीय विधायिका (The Union legislative)**	**119-180**
	• संसद • राज्य सभा • लोक सभा • संसद के सदस्यों की अर्हताएँ • संसद के सदस्यों की निरर्हताएँ • स्थानों का रिक्त होना • संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य अधिकार • संसद सदस्यों की भूमिका • राज्य सभा और लोक सभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन • संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ • संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष	• संसद के सत्र • राष्ट्रपति का अभिभाषण • गणपूर्ति • सदन में मतदान • संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा • संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार • संसद में विधायी प्रक्रिया • संयुक्त बैठक का प्रावधान • संसदीय कार्यवाही • विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव • संकल्प • वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट

इकाई

1

भारतीय राजव्यवस्था : एक परिचय
(Indian Polity : An Introduction)

- राज्य
  - ➤ राज्य के तत्त्व
  - ➤ राज्य के प्रकार
  - ➤ राज्य के अधिकारों/कर्तव्यों पर मॉन्टेवीडियो सम्मेलन
  - ➤ राज्य के कार्यों के सिद्धांत
- संविधान
  - ➤ संविधान की आवश्यकता
  - ➤ संविधान का विकास
  - ➤ संविधान का वर्गीकरण
  - ➤ संविधान का महत्त्व
- संविधानवाद
  - ➤ संविधानवाद की उदारवादी अवधारणा
  - ➤ संविधानवाद के मुख्य तत्त्व
  - ➤ संवैधानिक विधि
  - ➤ विधियों के प्रकार
  - ➤ संविधान और अन्य विधियों में अंतर
- सरकार के अंग
  - ➤ विधायिका
  - ➤ कार्यपालिका
  - ➤ न्यायपालिका
- शासन प्रणालियाँ
  - ➤ शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार
- लोकतंत्र
  - ➤ लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण
  - ➤ लोकतंत्र के प्रकार

राज्य (State)

राज्य के तत्त्व

सामान्यत: 'राज्य' शब्द का प्रयोग किसी देश की क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयों के लिये किया जाता है, किंतु तकनीकी दृष्टि से यह किसी समाज की राजनीतिक संरचना होती है। इसका निर्माण चार तत्त्वों से मिलकर होता है–

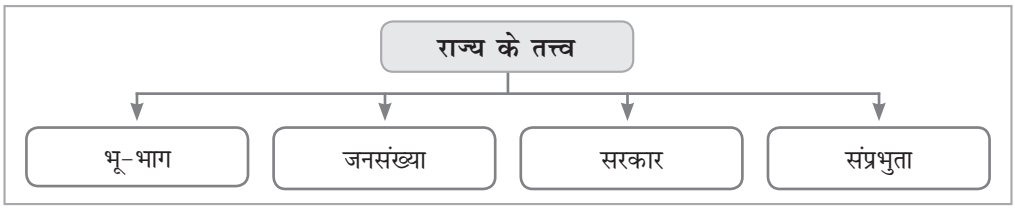

भू-भाग (Region)

राज्य का भौतिक आधार एक प्रदेश होता है, अर्थात् एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित करती हो।

जनसंख्या (Population)

राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित उस भू-भाग पर निवास करने वाले लोगों का समूह जो राजनीतिक व्यवस्था से संचालित होता है।

- ब्रिटेन में शासन व्यवस्था एकात्मक है, किंतु विधायिका दो सदनों से मिलकर बनी है। ब्रिटेन में दूसरे सदन 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' का गठन वहाँ की परंपरा तथा समाज के विशेष व्यक्तियों को विधायिका में प्रतिनिधित्व देने के लिये किया गया है।

- भारत में संघात्मक शासन होने के कारण विधायिका या संसद दो सदनों से मिलकर बनी है। निचले सदन या लोकप्रिय सदन को 'लोक सभा' तथा उच्च सदन को 'राज्य सभा' कहते हैं। राज्य सभा, अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों से प्रतिनिधियों तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लार्ड्स की तरह कुछ विशिष्ट नागरिकों को मिलाकर गठित होती है।

- **विधायिका के कार्य–**
  - विधि निर्माण
  - वित्तीय कार्य
  - न्यायिक कार्य
  - कार्यपालिका पर नियंत्रण
  - विमर्शात्मक कार्य

कार्यपालिका (Executive)

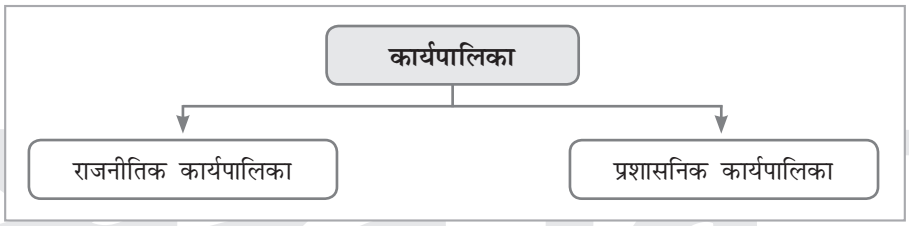

सरकार का वह अंग जो विधियों को लागू करने का कार्य करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित विधियों का पालन करवाने के कारण ही इसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा अधिकारीगण शामिल होते हैं।

कार्यपालिका दो प्रकार की होती हैं–

1. **राजनीतिक कार्यपालिका–** राजनीतिक कार्यपालिका में निर्धारित समय के लिये नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जैसे– प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण।
2. **प्रशासनिक कार्यपालिका–** प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है क्योंकि इसके प्रतिनिधि योग्यता आधारित होते हैं, न कि निर्वाचन आधारित। ये राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों पर कार्य करते हैं, जैसे– भारत में नौकरशाही।

राजनीतिक कार्यपालिका के अन्य प्रकार (Other Types of Political Executive)

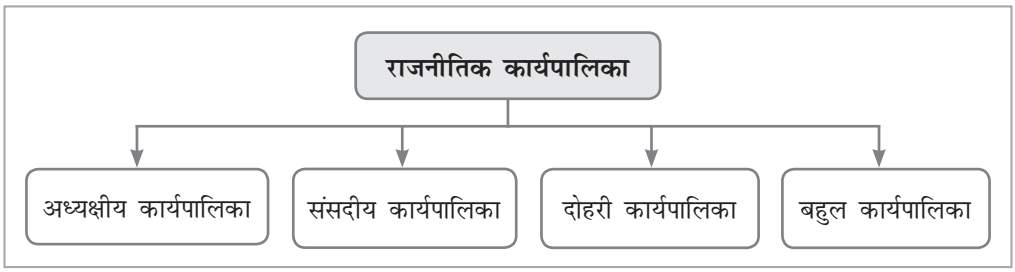

इकाई

2

संवैधानिक विकास
(Constitutional Development)

- परिचय
- कंपनी का शासन
  - ➤ रेगुलेटिंग एक्ट
  - ➤ पिट्स इंडिया एक्ट
  - ➤ चार्टर एक्ट
  - ➤ चार्टर एक्ट
  - ➤ चार्टर एक्ट
  - ➤ चार्टर एक्ट
- क्राउन का शासन (1858-1947)
  - ➤ भारत सरकार अधिनियम
  - ➤ भारत परिषद् अधिनियम
  - ➤ भारत परिषद् अधिनियम
  - ➤ भारत परिषद् अधिनियम : मार्ले-मिंटों सुधार
  - ➤ भारत शासन अधिनियम : मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
  - ➤ भारत शासन अधिनियम
- कैबिनेट मिशन प्लान
  - ➤ दीर्घकालिक योजना
  - ➤ संविधान सभा से संबंधित प्रावधान
  - ➤ अल्पकालिक योजना
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
- संविधान सभा की मांग
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की स्थिति
- संविधान सभा का गठन
- संविधान सभा की कार्यप्रणाली
- संविधान सभा के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ
  - ➤ चुनौतियों का समाधान
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा संविधान सभा में परिवर्त
  - ➤ संविधान सभा की समितियाँ
  - ➤ प्रारूप समिति
  - ➤ संविधान की स्वीकृति

परिचय (Introduction)

- 1600 ई. में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में यह विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक संस्था थी किंतु कालांतर में कंपनी की महत्त्वाकांक्षाएँ प्रबल होती गईं और शीघ्र ही राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसने क्षेत्रीय सत्ता पर कब्जा कर लिया तथा इसके माध्यम से भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया।
- क्षेत्रीय शक्ति बनने के बाद कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने व्यापार तथा अन्य कार्यों जैसे शासन व्यवस्था, आर्थिक नीतियों आदि को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिये कई आदेश, अधिनियम आदि पारित किये।

1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी की सत्ता समाप्त करके प्रत्यक्ष ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के दौरान भी विभिन्न अधिनियमों के माध्यम भारतीय शासन संचालन जारी रहा।

- ब्रिटिश सरकार द्वारा समय-समय पर पारित अधिनियमों ने भारतीय शासन व्यवस्था की विधिक रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव छोड़ा।

ब्रिटिश शासन के दौरान हुए कुछ संवैधानिक विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित हैं–

- ➤ 1726 के चार्टर के द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
- ➤ 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने की शक्तियाँ प्राप्त हुईं।
- ➤ राजस्व का अधिकार मिलने के बाद कंपनी के अधिकारियों में लूट खसोट की प्रवृत्ति बढ़ गई साथ ही युद्धरत रहने के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

- गवर्नर जनरल की परिषद् में एक विधि विशेषज्ञ को सदस्यता दी गई।
- सिविल सेवाओं में चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया।

क्राउन का शासन (1858-1947) (The Crown Rule, 1858-1947)

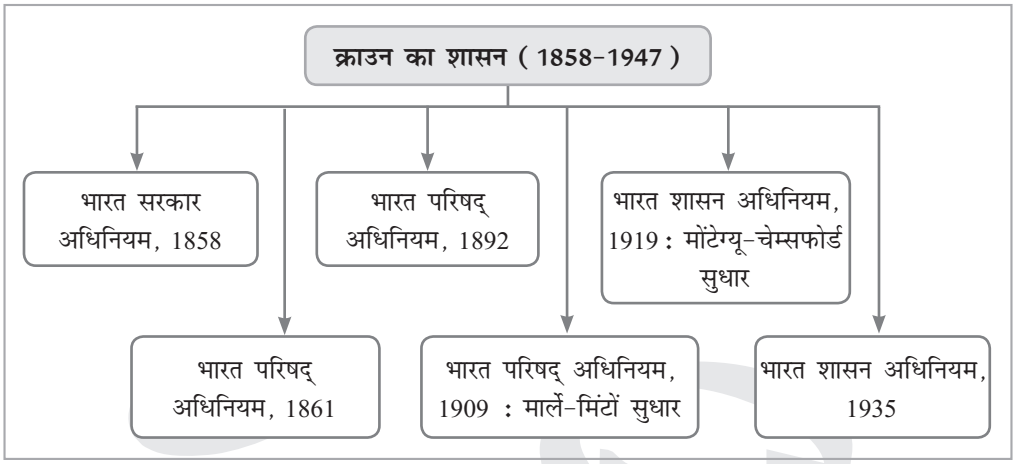

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया।

भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act), 1858

1858 के अधिनियम के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये जो निम्नलिखित हैं-

- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं उसका अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया, इस सदस्य को भारत का मंत्री या भारत राज्य सचिव कहा जाता था।
- भारत राज्य सचिव की सहायता के लिये 15 सदस्यीय भारतीय परिषद् का गठन किया गया। इस परिषद् के 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट के पास था। जबकि शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया।
- भारत के राज्य सचिव को भारतीय मामलों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया।
- गवर्नर जनरल तथा प्रेसीडेसियों के गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा तथा उनकी परिषदों की नियुक्ति सपरिषद् भारत राज्य सचिव द्वारा की जानी थी।
- भारत के राज्य सचिव तथा उनके परिषद् के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था।
- भारत का गवर्नर जनरल, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा तथा उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई।
- अनुबंधित सिविल सेवा में नियुक्तियाँ अब खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने लगी।

भारत परिषद् अधिनियम (Indian Council Act), 1861

- वायसराय की कार्यकारी परिषद् का विस्तार किया गया तथा इसमें पाँचवें सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया।

इकाई

3

संरचना
(Structure)

- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
  - ➤ लिखित और विशाल संविधान
  - ➤ संविधान की सर्वोच्चता
    - ■ कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण
    - ■ संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव
    - ■ संसदीय व्यवस्था
    - ■ स्वतंत्र न्यायपालिका
  - ➤ संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय
    - ■ प्रभुत्वसंपन्न राज्य
    - ■ समाजवादी राज्य
    - ■ लोकतांत्रिक गणराज्य
    - ■ पंथनिरपेक्ष राज्य
    - ■ एकल नागरिकता
    - ■ मौलिक अधिकार
    - ■ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
    - ■ कल्याणकारी राज्य की स्थापना
  - ➤ आपालकालीन प्रावधान
  - ➤ त्रिस्तरीय सरकार
  - ➤ सहकारी समितियाँ
  - ➤ संविधान के स्रोत
  - ➤ भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक
  - ➤ भारतीय संविधान की आलोचना
    - ■ भारतीय संविधान उधार का थैला है
    - ■ वकीलों का स्वर्ग
    - ■ भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नकल

भारतीय संविधान की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Constitution)

भारतीय संविधान तत्त्वों और मूल भावना की दृष्टि से अनूठा एवं अनुपम संविधान है। इसमें देश के अतीत के अनुभवों, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों एवं उन सभी महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का समावेश किया गया है जो देश की विविधता एवं अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिये आवश्यक है। संविधान निर्माताओं के द्वारा उस समय विश्व में में प्रचलित सभी प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया गया तथा उन संविधानों के महत्त्वपूर्ण तथ्यों को देश की आवश्यकतानुसार संशोधित करके संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान एक अद्वितीय संविधान है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को निम्न में रूप में समझा जा सकता है।

लिखित और विशाल संविधान (Written and Most Comprehensive Constitution)

भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है तथा एक निश्चित तिथि को इसे लागू किया गया है। यह एक विस्तृत संविधान है। इसके मूल स्वरूप में अनुच्छेद 395, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी तथा विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा इसके अनुच्छेदों में वृद्धि की गई। इसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के विशाल होने के कुछ मुख्य कारण निम्न हैं-

को समझा जा सकता है। यहाँ पंथनिरपेक्ष का तात्पर्य धर्म से तटस्थता न होकर सर्वधर्म सद्भाव है। इसके अनुसार राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा तथा राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे- अनुच्छेद 15, 16 (धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही करते है) अनुच्छेद 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) में भी पंथनिरपेक्षता के तत्त्व दृष्टिगत होते हैं

एकल नागरिकता (Single Citizenship)

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर अमेरिका की तरह संघ एवं राज्यों के लिये पृथक-पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है बल्कि सभी के लिये एक नागरिकता अर्थात् भारत की नागरिकता का प्रावधान है। देश की एकता एवं अखण्डता बनाये रखने के लिये एकल नागरिकता का प्रावधान अधिक उपयुक्त है। एकल नागरिकता के कारण ही देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी भाग में निवास करे।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही मौलिक अधिकार की मांग की जा रही थी। स्वतंत्रता के संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करके इस मांग को पूरा किया गया। इसमें भारतीय जनता को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किये गये हैं जिन्हें राज्य द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्न हैं–

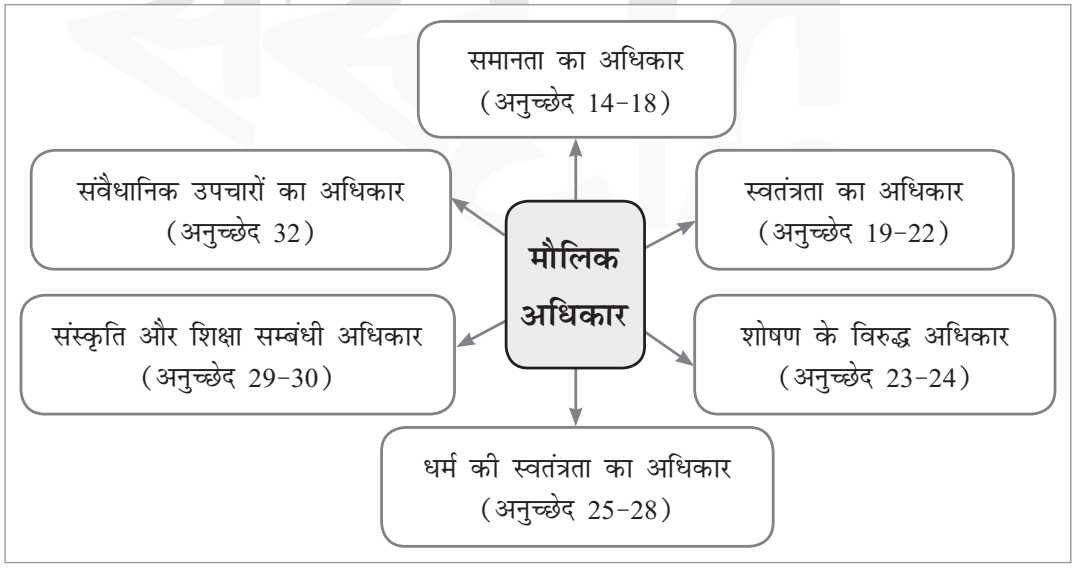

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन प्रशासन के लिये मार्गदर्शक के रूप में अवश्य हैं। इसके बहुत से उपबंधों को संविधान संशोधन द्वारा लागू किया जा चुका है जैसे– 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत व्यवस्था को संविधान में सम्मिलित किया गया।

इकाई

4

उद्देशिका/प्रस्तावना
(Preamble)

- उद्देशिका/प्रस्तावना
  - ➤ संविधान के उद्देशिका की विषय वस्तु
  - ➤ उद्देशिका के मूल तत्त्व
  - ➤ संविधान के अधिकार का स्रोत
  - ➤ भारत का स्वरूप
    - ■ प्रभुत्व-संपन्न
    - ■ समाजवादी
    - ■ पंथनिरपेक्ष
    - ■ लोकतांत्रिक
    - ■ गणराज्य
  - ➤ संविधान का उद्देश्य
    - ■ न्याय
    - ■ सामाजिक न्याय
    - ■ आर्थिक न्याय
    - ■ राजनीतिक न्याय
      - ❖ स्वतंत्रता
      - ❖ समानता
      - ❖ स्वतंत्रता
      - ❖ बंधुता
      - ❖ व्यक्ति की गरिमा
      - ❖ राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
      - ❖ बंधुत्व
  - ➤ उद्देशिका का महत्त्व
  - ➤ उद्देशिका की सीमाएँ/आलोचना
  - ➤ संविधान के भाग के रूप में उद्देशिका
  - ➤ उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं?

उद्देशिका/प्रस्तावना (Preamble)

उद्देशिका/प्रस्तावना संविधान का आमुख होती है। यह संविधान से हमारा प्रारंभिक परिचय करवाती है। उद्देशिका को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पं. नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा उद्देशिका/प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया।

उद्देशिका संविधान का सार है। यह हमें संविधान के मूल स्रोत, भारत की सत्ता के स्वरूप एवं संविधान के उद्देश्यों से अवगत कराती है। "न्यायमूर्ति सुब्बाराव" के शब्दों में, ''उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।'' उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था या वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सबको जानने का माध्यम उद्देशिका होती है।

संविधान की उद्देशिका की विषय वस्तु (Content of the Preamble of the Constitution)

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को–

लोकतंत्र को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है- प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी शक्तियों (विधि-निर्माण एवं प्रशासन प्रक्रिया में भाग लेना) का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मूल तत्त्व हैं– जनमत संग्रह (Referendum), पहल (Initiative), प्रत्यावर्तन (Recall) एवं लोक-निर्णय (Plebiscite) । प्रत्यक्ष लोकतंत्र वस्तुत: छोटे राज्यों के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 'प्रतिनिधि लोकतंत्र' भी कहा जाता है। इसमें जनता सीधे तौर पर शासन प्रक्रिया में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। जैसे– भारत में।

भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ की विशेष परिस्थिति जैसे विस्तृत भू-भाग एवं विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ लोकतंत्र को अपनाया जाना संभव नहीं था। अत: यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया। यहाँ पर जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से एक निश्चित अवधि के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है तथा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है।

संविधान में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग केवल राजनीतिक लोकतंत्र के लिये नहीं किया गया है, अपितु इसे वृहद् स्वरूप में लेते हुए इसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी समाहित किया गया है। सामाजिक लोकतंत्र की प्रणति के लिये अवसर की समानता, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इत्यादि को संविधान में रखा गया है; जबकि आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से समान कार्य के लिये समान वेतन, संसाधनों का न्यायोचित वितरण, रोजगार एवं काम करने के अधिकार को सम्मिलित किया गया है।

गणराज्य (Republic)

उद्देशिका में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य से तात्पर्य उस राज्य से है, जहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, वहाँ पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता तथा राज्य के सभी सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिये समान रूप से खुले होते हैं। गणराज्य में राज्याध्यक्ष का चुनाव वंशानुगत आधार पर नहीं बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिये किया जाता है।

भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर राज्य प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि (पाँच वर्षों) के लिये किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का पद सभी नागरिकों के लिये खुला है अर्थात् भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राज्याध्यक्ष वंशानुगत आधार पर चुना जाता है। अत: ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ वंशानुगत राजतंत्र है; जबकि भारत में लोकतंत्र एवं गणतंत्र दोनों हैं।

संविधान के उद्देश्य (Objectives of Constitution)

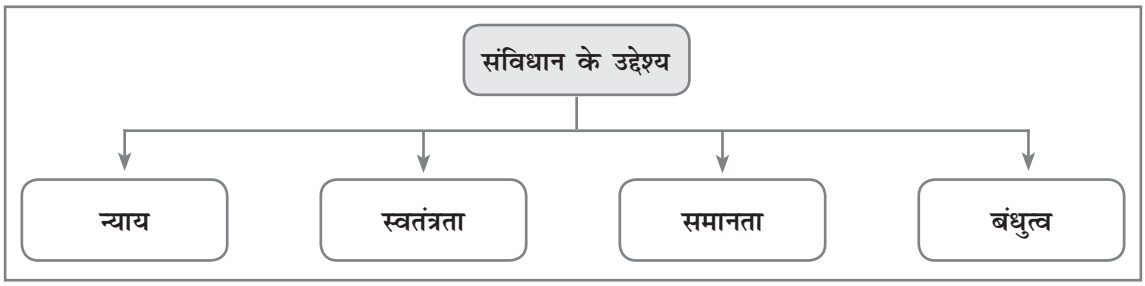

उद्देशिका में संविधान के उद्देश्यों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा एकता एवं अखंडता का उल्लेख किया गया है। इसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है।

इकाई

5

संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र
(Union and its territory)

- संवैधानिक उपबंध
  - ➤ राज्यों का संघ
  - ➤ नए राज्यों की स्थापना
  - ➤ राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति
    - ■ प्रक्रिया
  - ➤ देशी रियासतों का एकीकरण
  - ➤ मौलिक संविधान में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण
  - ➤ अन्य यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय
  - ➤ राज्य पुनर्गठन आयोग
    - ■ धर आयोग
    - ■ फज़ल अली आयोग

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)

भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारतीय संघ और इसके राज्यक्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।

राज्यों का संघ (Union of States)

- अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में वर्णित 'भारत' शब्द देश का नाम है जबकि 'संघ' शब्द से तात्पर्य शासन प्रणाली से है।
- भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, भारत को संघीय राज्य की बजाय राज्यों का संघ बताए जाने के पक्ष में दो तर्क प्रस्तुत किये गए हैं, पहला भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है अर्थात् यहाँ पर अमेरिका के विपरीत स्थिति है। दूसरे तर्क में कहा गया है कि इस संघ को किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण देश एक संघ है जो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार विभिन्न राज्यों में बँटा हुआ है।
- अनुच्छेद 1(2) के अनुसार राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
- अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र का तीन श्रेणियों में विभाजन किया गया है–

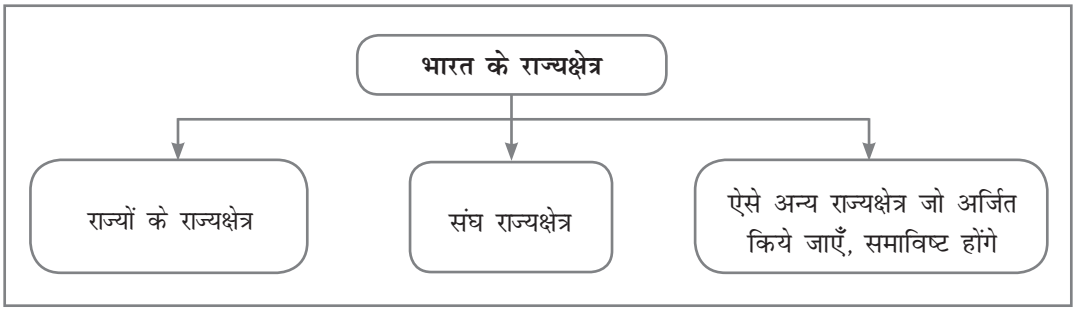

- राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, 1956 के माध्यम से 14 राज्यों तथा 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया। तत्कालीन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे।

1956 के बाद निर्मित नए राज्य और संघशासित क्षेत्र
(New States and Union Territories formed after 1956)

वर्तमान राज्य/संघशासित क्षेत्र	कब एवं किस क्षेत्र से
महाराष्ट्र/गुजरात	1960 बंबई से
दादरा और नगर हवेली	1961 (10वाँ संविधान संशोधन) पुर्तगाली शासन से
गोवा तथा दमन और दीव	1962 में गोवा को केंद्रशासित प्रदेश तथा 1987 में 25वाँ पूर्ण राज्य का दर्जा
पुदुचेरी	1962 में 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश बना
नागालैंड	1963 नागा पहाड़ियों और असम के कुछ हिस्सों को मिलाकर 16वाँ राज्य बना
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़	1966 में पंजाब से
हिमाचल प्रदेश	1971 में पंजाब से (18वाँ राज्य)
मणिपुर	1972 में 19वाँ पूर्ण राज्य
त्रिपुरा	1972 में 20वाँ पूर्ण राज्य
मेघालय	1972 में 21वाँ पूर्ण राज्य
सिक्किम	35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहराज्य तथा 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 22वाँ पूर्ण राज्य
मिजोरम	1987 में 23वाँ पूर्ण राज्य
अरुणाचल प्रदेश	1987 में 24वाँ पूर्ण राज्य
छत्तीसगढ़	2000 में 26वाँ राज्य (मध्य प्रदेश से)
उत्तराखंड	2000 में 27वाँ राज्य (उत्तर प्रदेश से)
झारखण्ड	2000 में 28वाँ राज्य (बिहार से)
तेलंगाना	2014 में 29वाँ राज्य (आंध्र प्रदेश से)
जम्मू और कश्मीर	2019 में पूर्व के जम्मू और कश्मीर राज्य के एक भाग के रूप में केंद्रशासित प्रदेश
लद्दाख	2019 में पूर्व के जम्मू और कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश।

नोट : वर्तमान भारत के राजनीतिक मानचित्र के अनुसार 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

इकाई

6

नागरिकता
(Citizenship)

- नागरिकता
  - ➤ भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर
    - ■ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार
    - ■ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार
  - ➤ संवैधानिक प्रावधान
  - ➤ संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
    - ■ अधिवास द्वारा नागरिकता
    - ■ पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता
    - ■ पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता
    - ■ भारत के बाहर भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता
  - ➤ नागरिकता का अर्जन
    - ■ जन्म से नागरिकता
    - ■ वंशक्रम से नागरिकता
    - ■ पंजीकरण द्वारा नागरिकता
    - ■ देशीयकरण द्वारा नागरिकता
    - ■ अर्जित भू-भाग के शामिल होने पर
  - ➤ नागरिकता की समाप्ति
    - ■ नागरिकता का परित्याग
    - ■ दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर
    - ■ नागरिकता से वंचित किया जाना
  - ➤ विदेशी निवासियों की वैधानिक स्थिति
    - ■ अनिवासी भारतीय (NRIs), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) तथा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCIs) के संबंध में प्रावधान
  - ➤ विदेशी निवासियों की वैधानिक स्थिति की तुलना
  - ➤ एकल नागकिरता
  - ➤ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
  - ➤ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के मुख्य प्रावधान
  - ➤ नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 से संबंधित चिंताएँ

नागरिकता (Citizenship)

किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नागरिक और विदेशी। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्रदान नहीं किये जाते हैं। वास्तव में नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। इसका प्रयोग विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं–

- नागरिकता से आशय, एक व्यक्ति को प्राप्त किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता से है। राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त व्यक्ति को तीन अधिकार प्राप्त होते हैं– नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार।
- नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की सुरक्षा करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को मताधिकार प्रदान कर शासन में सहभागी बनाते हैं। सामाजिक अधिकार व्यक्ति को शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिकों के लिये सम्मान के साथ जीवन-यापन करना संभव बनाते हैं।
- नागरिकता को व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्ति करता है तथा राज्य, व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। सभी व्यक्ति प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान होते हैं।

नोट : भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।

भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर (Difference Between Indian Citizens and Aliens)

भारतीय नागरिक (Indian Citizen)

ये भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, इन्हें सभी नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा इनकी भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है।

विदेशी (Aliens)

ये अन्य देशों के नागरिक होते हैं जिन्हें सभी नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशियों को भी दो वर्गों में रख सकते हैं, जैसे- मित्र देश का नागरिक तथा शत्रु देश का नागरिक।

- **मित्र देश का नागरिक–** ये ऐसे देश के नागरिक होते हैं, जिनसे भारत का मित्रवत संबंध होता है।
- **शत्रु देश का नागरिक–** ये ऐसे देश के नागरिक होते हैं जो भारत के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं।

नोट– शत्रु देश के नागरिकों को मित्र देश के नागरिकों की अपेक्षा कम संरक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण)।

भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर (Difference Between Indian Citizens and Aliens)

भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार	विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार
• धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15) • लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16) • वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19) • अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29) • शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)	• विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) • अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) • प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21) • शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-क) • कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22) • मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23) • कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24) • अंत:करण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) • धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26) • किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27) • कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

इकाई

7

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

- मूल अधिकार
  - ➤ मूल अधिकारों की विशेषताएँ
  - ➤ मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद
  - ➤ राज्य की परिभाषा
  - ➤ मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
  - ➤ अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संबंध
  - ➤ उच्चतम न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ तथा परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत
  - ➤ पृथक्करण का सिद्धांत
  - ➤ आच्छादन का सिद्धांत
  - ➤ अधित्याग का सिद्धांत
  - ➤ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  - ➤ विधि के समक्ष समता
    - विधियों का समान संरक्षण
  - ➤ समता के अपवाद
  - ➤ कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध
  - ➤ लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
  - ➤ अस्पृश्यता का अंत
  - ➤ उपाधियों का अंत
  - ➤ स्वतंत्रता का अधिकार
    - वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
    - अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
    - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
    - शिक्षा का अधिकार
    - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
    - शोषण के विरुद्ध अधिकार
    - मानव के दुर्व्यापार और बालात्श्रम का प्रतिषेध
    - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
  - ➤ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
    - अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
    - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
    - धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
    - कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
  - ➤ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
    - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
    - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  - ➤ कुछ अधिनियमों/विनियमों का संरक्षण एवं विधिमान्यकरण
  - ➤ संवैधानिक उपचारों का अधिकार
    - विभिन्न रिट
    - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्तियों में अंतर
  - ➤ मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध
  - ➤ सशस्त्र बल और मूल अधिकार
  - ➤ मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल
  - ➤ मूल अधिकारों का महत्त्व

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मूल अधिकार, व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये अत्यंत आवश्यक है। यह अधिकार व्यक्ति के सर्वोत्तम हित और निजी पहचान विकसित करने में सहायता करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकार व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन-यापन करने तथा व्यक्ति में प्रतिभा और दक्षता विकसित करने में भी सहयोग करता है। मूल

ध्यातव्य है कि 'असंगति या विरोध की सीमा' तक वाक्यांश से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के केवल वे भाग ही अवैध घोषित किये जाएंगे, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं या विरुद्धा हैं; संपूर्ण अधिनियम को नहीं।

आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)

अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियाँ संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी विधियाँ प्रारंभ से ही शून्य नहीं होतीं, बल्कि अधिकारों के लागू हो जाने के कारण मृतप्राय हो जाती हैं तथा इनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते हैं। वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं अर्थात् सुषुप्तावस्था में रहते हैं।

अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waives)

अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता है।

मूल अधिकार को व्यक्तिगत हित के साथ-साथ सार्वजनिक हित के लिये संविधान में शामिल किया गया है। मूल अधिकार संविधान द्वारा राज्य पर लगाए गए कर्तव्य हैं और कोई भी व्यक्ति राज्य को ऐसे कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकता। भारत के अधिकतर नागरिक गरीब और अशिक्षित हैं और उनमें अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना का अभाव है। अत: न्यायालय का यह दायित्व है कि नागरिकों के अधिकारों के प्रति संरक्षण प्रक्रिया निर्धारित करे।

समानता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14– भारत राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। प्रथम 'विधि के समक्ष समता' तथा द्वितीय 'विधियों का समान संरक्षण'।

प्राकृतिक न्याय– प्राकृतिक न्याय से आशय ऐसे न्यूनतम मानक सिद्धांत से है, जिसका अनुसरण या पालन प्रत्येक प्रशासनिक और न्यायिक संस्था द्वारा किया जाना चाहिये, जब वे नागरिकों से संबंधित मामलों पर निर्णय कर रहे हों। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दो मुख्य तत्त्वों से मिलकर बना है–

I. कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
II. प्रत्येक पक्ष को उसकी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिये या कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण में अंतर
(Difference between Equality before Law and Equal Protection of Laws)

विधि के समक्ष समता	विधियों का समान संरक्षण
➤ ब्रिटिश परंपरा से प्रभावित। ➤ सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं। ➤ कानून सभी के साथ एक-जैसा व्यवहार करेगा। ➤ कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, कानून से ऊपर नहीं है। ➤ नकारात्मक संदर्भ है।	➤ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित। ➤ कानून या विधि के माध्यम से दिये गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार की बात करता है। ➤ समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिये समान व्यवहार। ➤ भेदभावरहित सम्मान के साथ समान व्यवहार। ➤ सकारात्मक संदर्भ है।

- ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास करते हों जो उनके आध्यात्मिक विकास के लिये उपयुक्त हो।
- उस समूह का एक सामान्य संगठन होना चाहिये।
- उस समूह का एक विशेष नाम होना चाहिये।

नोट– अनुच्छेद 25 का अधिकार, व्यक्तिगत है तथा अनुच्छेद 26 के अधिकार धार्मिक संप्रदायों या इसके अनुभागों का अधिकार है।

अनुच्छेद-27 – किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of any Particular Religion)

अनुच्छेद 27 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिये कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य कर के रूप में एकत्रित जनता के धन को, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये व्यय नहीं कर सकता है। किंतु, सभी धर्मों को समान महत्त्व देते हुए करों को व्यय कर सकता है।

नोट– यह अनुच्छेद केवल कर लगाने को प्रतिबंधित करता है शुल्क लगाने को नहीं, जैसे– कुंभ मेले का आयोजन, अमरनाथ यात्रा, हज सब्सिडी, गुरु पर्व का आयोजन, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण इत्यादि।

अनुच्छेद 28 – कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational Institutions)

अनुच्छेद 28(1) – राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद 28(2) – उक्त खंड की कोई बात ऐसे शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी, जिसका प्रशासन राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना, विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

अनुच्छेद 28(3) – राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से पोषित शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में धार्मिक उपासना में उपस्थिति के लिये उसके संरक्षक की सहमति अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद 28 चार प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख करता है।

शिक्षण संस्थान	धार्मिक शिक्षा
राज्य द्वारा पूर्ण पोषित	धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त	अनुमति लेकिन सहमति से
राज्य-निधि से सहायता प्राप्त	अनुमति लेकिन सहमति से
राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन न्यास द्वारा स्थापित	स्वैच्छिक आधार पर

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of Interests of Minorities)

अनुच्छेद 29(1) – भारत में रहने वाले सभी नागरिक जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 29(2) – राज्य द्वारा पोषित या सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश करने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
(Right of Minorities to eastablish and Administer educational Institutions)

अनुच्छेद 30(1) – धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 30(1क) – किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिये विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि, ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिये विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिये जिससे उनके लिये प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो।

अनुच्छेद 30(2) – शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि, वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रशासित है।

अल्पसंख्यक – संविधान, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। टी.एम.ए.पाई बनाम कर्नाटक राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पंथ और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कौन है, इसका निर्धारण विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या में विभिन्न समुदाय के अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिये।

कुछ अधिनियमों/विनियमों का संरक्षण एवं विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31 – संपत्ति का अनिवार्य अर्जन (Compulsory Acquisition of Property)

संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा संविधान में अनुच्छेद 300(क) नया उपबंध शामिल करके संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया।

अनुच्छेद 31(क)– संपदाओं के अधिग्रहण के लिये उपबंध करने वाली विधियों का सरंक्षण (Saving)। अनुच्छेद 8631(क) भूमि सुधार से संबंधित अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार विधियों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। अनुच्छेद 31(क) यह प्रावधान करता है कि-

अनुच्छेद 13 में शामिल किसी बात के होते हुए भी–

1. किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के उन्मूलन (Extinguishment) या उनमें परिवर्तन के लिये, या
2. किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिये राज्य द्वारा ले लिये जाने के लिये, या
3. दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित (Amalgamation) करने के लिये, या

इकाई

8

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(Directive Principles of State Policy)

- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
  - अवधारणा
  - संवैधानिक उपबंध एवं उद्देश्य
    - उद्देश्य
  - राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ
  - राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण
    - समाजवादी तत्त्व
  - उदारवादी तत्त्व
  - गांधीवादी तत्त्व
  - राज्य के नीति निदेश तत्त्वों में संवैधानिक संशोधन
    - 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
    - 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
    - 96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
    - 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
  - संविधान के भाग-4 से बाहर के नीति-निदेशक तत्त्व
  - मूल अधिकार और निदेशक तत्त्वों में संबंध
  - नीति-निदेशक तत्त्वों की आलोचना
  - राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का महत्त्व
    - प्रमुख विचारकों का नीति-निदेशकों के संबंध में विचार
  - निदेशक तत्त्वों का महत्त्व

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

अवधारणा (Concept)

सामान्य अर्थों में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व, कुछ कल्याणकारी आदर्शों का एक समुच्चय होता है जिन्हें प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और विधि निर्माण के समय सदैव ध्यान में रखती है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती है, अतः उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिये संविधान में राज्य के लिये नीतिगत निर्देशों को शामिल किया ताकि प्रस्तावना में परिकल्पित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके।

संवैधानिक उपबंध एवं उद्देश्य (Constitutional Provisions and Objectives)

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।

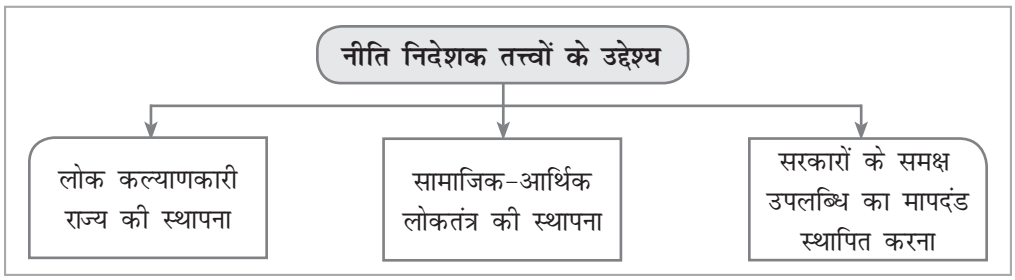

तत्त्व के बीच संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला हैं अत: एक भाग को दूसरे भाग पर पूर्ण प्राथमिकता देना इस संतुलन को नष्ट करना है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक अंग है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों में अंतर
(Difference between Fundamental Rights and Directive Principle of State Policy)

मूल अधिकार	नीति-निदेशक तत्त्व
• मूल अधिकार वाद योग्य या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय।	• निदेशक तत्त्व वाद योग्य नहीं या न्यायालय द्वारा गैर प्रवर्तनीय।
• सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं। नकारात्मक प्रकृति	• निदेशक तत्त्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिये प्रेरित करते हैं। सकारात्मक प्रकृति
• मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।	• निदेशक तत्त्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।
• राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।	• सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
• मूल अधिकार स्वत: लागू होते हैं।	• निदेशक तत्त्वों को लागू करने के लिये कानून की आवश्यकता होती है।
• मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है।	• निदेशक तत्त्वों का उल्लंघन करने वाले कानून को न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता।
• आपातकाल (राष्ट्रीय) के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलम्बित हो जाते हैं।	• निदेशक तत्त्वों को विधि द्वारा ही लागू किया जा सकता अन्यथा वे निलम्बित ही रहते हैं।

निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन (Implementation of Directive Principles)

अनुच्छेद 38	1950 में योजना आयोग का गठन तत्पश्चात् उसके स्थान पर नीति आयोग।
अनुच्छेद 39	भूमि सुधार कानून, न्यूनतम मज़दूरी कानून (1948), समान पारिश्रमिक कानून (1976), बाल श्रम निषेध, विधिक सेवा प्राधिकरण (1987) आदि।
अनुच्छेद 40	73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
अनुच्छेद 41	मनरेगा, वृद्ध जनों को पेंशन तथा अन्य सामाजिक सहयोग की योजनाएँ।
अनुच्छेद 42	प्रसूति सुविधा अधिनियम (1961)।
अनुच्छेद 43	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि।
अनुच्छेद 45	शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम।
अनुच्छेद 46	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये नौकरियों, शिक्षा में आरक्षण, संवैधानिक आयोग आदि।
अनुच्छेद 47	प्राथमिक, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य केंद्र। एड्स, कुष्ठ, पोलियो, जापानी बुखार आदि के लिये अभियान। कुछ राज्यों द्वारा शराब बंदी।

अनुच्छेद 48	कुछ राज्यों द्वारा गाय, बछड़ों के वध पर प्रतिबंध। हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
अनुच्छेद 49	प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1951
अनुच्छेद 50	आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
अनुच्छेद 51	गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पंचशील की नीति।

नीति-निदेशक तत्त्वों की आलोचना (Criticism of Directive Principles)

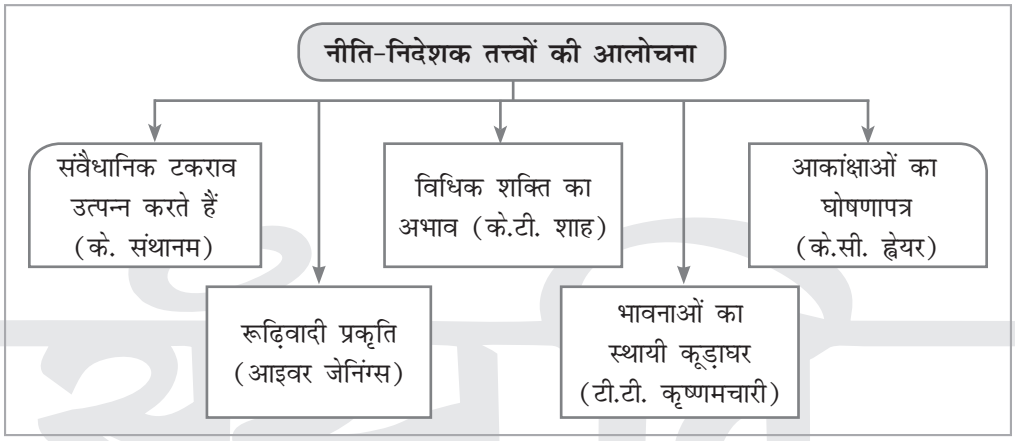

- **संवैधानिक टकराव:** के. संथानम ने कहा था कि नीति-निदेशक तत्त्व संवैधानिक टकराव पैदा कर सकते हैं–
  - ➤ **केंद्र और राज्य के बीच:** केंद्र नीति-निदेशक तत्त्वों को लागू करने के लिये राज्यों को निर्देश दे सकता है और यदि इन तत्त्वों को लागू करने में राज्य असमर्थता दिखा रहे हैं तो इस स्थिति में राज्य सरकारों को केंद्र बर्खास्त कर सकता है।
  - ➤ **राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच:** किसी ऐसे विधेयक को, जो निदेशक तत्त्वों का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति इस आधार पर वापस लौटा सकते हैं कि निदेशक तत्त्व शासन के लिये मूलभूत है और मंत्रालय इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता।
  - ➤ **राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच:** प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच टकराव का वही आधार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है।
- **रूढ़िवादी:** सर आइवर जेनिंग्स ने निदेशक तत्त्वों का आधार 19वीं सदी का ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन बताया। आइवर जेनिंग्स के अनुसार निदेशक तत्त्व 20वीं सदी के बीच में उपयोगी सिद्ध होंगे, 21वीं सदी में अप्रासंगिक होंगे। नीति-निदेशक तत्त्वों को उन्होंने समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद कहा।
- **विधिक शक्ति का अभाव:** नीति-निदेशक तत्त्व अपनी प्रकृति में वाद योग्य नहीं है तथा इसी आधार पर विद्वानों ने इसकी आलोचना की। के.टी. शाह के अनुसार 'यह अतिरेक कर्मकांड है और यह ऐसा चेक है जो बैंक में है, उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर संभव है।
- टी.टी. कृष्णमचारी के अनुसार 'यह भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर है'।
- के.सी. व्हेयर के अनुसार यह 'लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र' है।

इकाई

9

मूल कर्तव्य
(Fundamental Duties)

- मूल कर्तव्य
  - ➤ अवधारणा
  - ➤ संवैधानिक उपबंध
  - ➤ मूल कर्तव्यों के स्रोत
  - ➤ स्वर्ण सिंह समिति
  - ➤ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य
  - ➤ मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ
  - ➤ मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन
  - ➤ मूल कर्तव्यों से अपेक्षाएँ
  - ➤ मूल कर्तव्यों का महत्त्व
  - ➤ मूल कर्तव्यों की आलोचना

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

अवधारणा (Concepts)

सामान्यत: मौलिक कर्तव्य नागरिकों के वे नैतिक दायित्व होते हैं जो देशभक्ति तथा देश की एकता एवं अखंडता के संवर्द्धन में सहयोग करते हैं। आधुनिक समय में कर्तव्यों की जगह अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। हालाँकि ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य और दायित्व भी समाहित होता है। अधिकारों और कर्तव्यों में न केवल तारतम्यता संभव है, बल्कि ये दोनों अविभाज्य हैं। कर्तव्य अधिकार का एक अभिन्न अंग होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिये कर्तव्य है, वहीं दूसरे के लिये अधिकार है, जैसे– यदि सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार प्राप्त है तो सभी व्यक्तियों के लिये यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मानव जीवन का आदर करें और किसी व्यक्ति को आहत न करें। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो अधिकार स्वत: सुरक्षित रहेंगे या दूसरे शब्दों में कहें, तो कर्तव्यों के पालन से ही अधिकारों को बल मिलता है।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)

- मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग-4 के पश्चात् एक नया भाग-4क शामिल किया गया। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नया शीर्षक मौलिक कर्तव्य रखा गया जिसमें नए अनुच्छेद 51क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।
- 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्य शामिल किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है।

मूल कर्तव्यों के स्रोत (Source of Fundamental Duties)

भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हालाँकि भारतीय परंपरा और चिंतन धारा में कर्तव्यों की प्राथमिकता प्राचीन काल से रही है। आधुनिक विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में जापान को छोड़कर अन्य किसी भी देश के संविधान में मूल कर्तव्यों का आलेख नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन

आदि में नागरिकों के कर्तव्य सामान्य नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। साम्यवादी देशों में अधिकारों की जगह कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिये गठित वर्मा समिति (वर्ष 1999) ने मूल कर्तव्यों के बारे में कहा है कि 'अनुच्छेद 51क यह प्रदर्शित करता है कि ये धाराएँ ऐसे मूल्यों की अभिव्यक्ति हैं जो भारतीय परंपरा, मिथकों, धर्मों तथा व्यवहारों में विद्यमान रही हैं'।

स्वर्ण सिंह समिति (Swarn Singh Committee)

राष्ट्रीय आपातकाल (वर्ष 1975-77) के दौरान तत्कालीन भारत सरकार ने मूल कर्तव्य एवं उसकी आवश्यकता के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति (वर्ष 1976) का गठन किया।

स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिये तथा इसके लिये संविधान में एक शीर्षक के रूप में मूल कर्तव्य का अलग से खंड होना चाहिये।

भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत संविधान में एक नया भाग-4क तथा नया अनुच्छेद 51क शामिल किया।

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य (Fundamental Duties in Indian Constitution)

अनुच्छेद 51क– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, तो छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की उम्र वाले बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ (Features of Fundamental Duties)

- मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है।

इकाई

10

संविधान का संशोधन
(Amendment of the Constitution)

- संविधान का संशोधन
  - ➤ संविधान संशोधन की प्रक्रिया
  - ➤ संविधान संशोधनों के प्रकार
  - ➤ संसद के साधारण बहुमत द्वारा
  - ➤ संसद के विशेष बहुमत द्वारा
  - ➤ संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा
  - ➤ संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना
  - ➤ संविधान संशोधन का महत्त्व
  - ➤ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

अवधारणा (Concept)

- परिस्थितिजन्य बदलावों, सामाजिक परिवर्तनों और राजनीतिक उठापटक के कारण कई देशों ने अपने संविधान की पुनर्रचना की है, जैसे– रूसी गणराज्य, नेपाल एवं श्रीलंका। इसके विपरीत, कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बेहतर समझ-बूझ के साथ अपना संविधान निर्मित किया और समय के साथ-साथ उसमें आवश्यक संशोधन किये, भारत एवं अमेरिका ऐसे ही देश हैं।
- भारत ने अपना संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू किया। 70 साल बीत जाने के बाद भी संविधान अनवरत कार्य कर रहा है। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत के समकालीन नवस्वतंत्र राष्ट्रों में से अधिकांश का संविधान वह स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सका, जो भारतीय संविधान ने प्राप्त किया।
- भारतीय संविधान की विशेषताओं में कहा जाता है कि यह एक मज़बूत संविधान है एवं इसकी बनावट देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। भारतीय संविधान-निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे, उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। वे जानते थे कि कोई भी ऐसा वैधानिक दस्तावेज़ बनाना सम्भव नहीं होता, जो सार्वकालिक रूप से उपयुक्त हो। वस्तुत: प्रत्येक वैधानिक दस्तावेज़ में समय व परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता होती है और भारतीय संविधान भी इस सीमा से परे नहीं है।
- भारतीय संविधान लम्बे समय से सफलतापूर्वक कार्यरत है क्योंकि इस संविधान में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, जिनके चलते इसमें समयानुकूल संशोधन किये जा सकते हैं। इसके अलावा, हमारे संविधान ने विभिन्न न्यायिक फैसलों व राजनीतिक व्यवहारों के माध्यम से अपनी परिपक्वता व लचीलेपन का परिचय भी दिया है।
- संविधान के समक्ष एक चुनौती यह भी रहती है कि वह समय के हिसाब से प्रासंगिक बना रहे। अर्थात् संविधान सामाजिक परिवर्तन के प्रत्येक पड़ाव पर इस चुनौती से भी दो-चार होता है कि वह समकालीन सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ भावी समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करने में सफल हो पाएगा अथवा नहीं? दूसरे शब्दों में, संविधान भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान पेश करने में सक्षम होना चाहिये। अत: संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और सवालों से जुड़ा होता है बल्कि इसमें कई सारे स्थायी महत्त्व के तत्त्व भी शामिल होते हैं।

➤ संविधान संशोधन विधयेक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। वह विधेयक को न तो रोक सकता है, न ही पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तथा इसके प्रावधानों को संविधान में शामिल कर लिया जाता है।

संविधान संशोधनों के प्रकार (Types of Constitutional Amendments)

- संविधान में संशोधन के उद्देश्य से उसके विभिन्न प्रावधानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग के लिये अलग प्रकिया अपनाई गई है। इनमें 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, जबकि एक प्रक्रिया अनुच्छेद 2 व 3 में उल्लिखित है। हालाँकि, अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 व 3 के माध्यम से किये गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
- अनुच्छेद 368 दो प्रकार से संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है– एक, संसद के विशेष बहुमत के माध्यम से तथा दूसरा, विशेष बहुमत के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के माध्यम से।
- संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है–
  1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा
  2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा
  3. संसद के विशेष बहुमत और कम-से-कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा

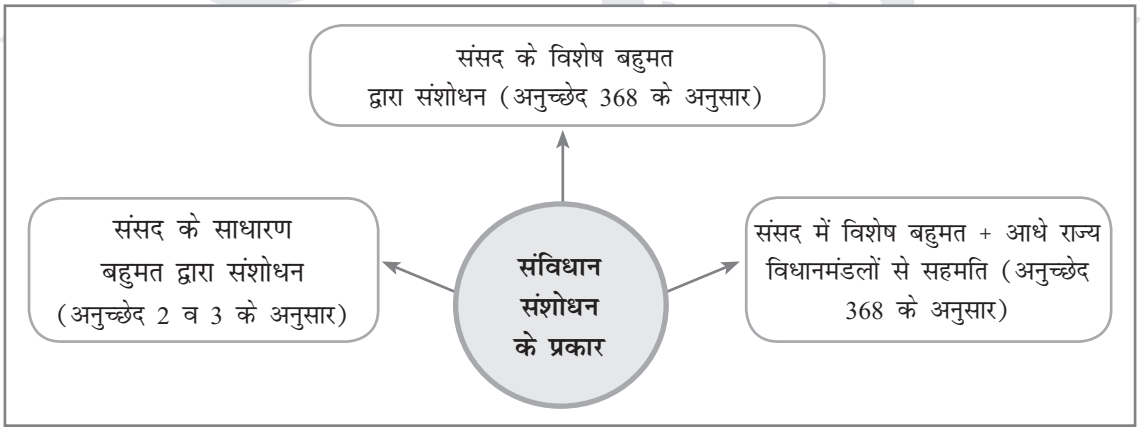

संसद के साधारण बहुमत द्वारा (By Simple Majority of the Parliament)

- संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं, जिनमें संसद साधारण बतुमत द्वारा विधि बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे अनुच्छेदों में संशोधन के लिये विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और साधारण विधि में कोई अंतर नहीं होता। विदित है कि साधारण बहुमत द्वारा संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। इसलिये इस प्रक्रियान्तर्गत संवैधानिक प्रावधानों में किये गए संशोधनों को औपचारिक रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
- साधारण बहुमत से आशय, संसद के दोनों सदनों में 'उपस्थित और मतदान करने वाले' सदस्यों के साधारण बहुमत से है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन के लिये साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है–
  ➤ नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3 और 4)

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1955	• राज्यों के वर्गीकरण यथा– भाग 'क', भाग 'ख', भाग 'ग' और भाग 'घ' को समाप्त करके इसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। • दो या दो से अधिक राज्यों के लिये सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था • उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था • केंद्रशासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्यायक्षेत्र का विस्तार
9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1960	• पहली अनुसूची में परिवर्तन करके बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया।
11वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1961	• उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जगह निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में वर्णित निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है।
16वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1963	• अनुच्छेद 19 के उपखंड 2, 3, 4 में निर्बंधन का एक और आधार भारत की सम्प्रभुता और अखंडता के हित में जोड़ा गया।
21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967	• 'सिंधी' को एक नई भाषा के रूप में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इससे आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी।
24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	• संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया। • राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि वह संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देगा।
25वाँ संविधान संशोधन, 1971	• सम्पत्ति के अधिकारों में कटौती। अनुच्छेद 31(2) में "प्रतिकर" शब्द को "राशि" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। • अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में उल्लखित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	• प्रिवी पर्स और पूर्व राजाओं या शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 291 में उल्लिखित था।
38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975	• अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया। • राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक द्वारा जारी किये जाने वाले अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा से निर्योग्य बना दिया गया।
39वाँ संविधान संशोधन, 1975	• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन-सम्बंधी विवादों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।

इकाई

11

संसदीय प्रणाली
(Parliamentary System)

- अवधारणा
  - ➤ संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ
  - ➤ संसदीय प्रणाली के सकारात्मक पक्ष
  - ➤ संसदीय प्रणाली के नकारात्मक पक्ष
  - ➤ संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण
  - ➤ भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर

अवधारणा (Concept)

- कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में वर्गीकृत होती हैं।
- अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह व्यवस्था 'राष्ट्रपति शासन प्रणाली' (Presidential rule of system) भी कहलाती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस आदि देशों में प्रचलित है।
- संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की ऐसी व्यवस्था होती है, जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों या वैधता के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका का अंग होती है।
- संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। इस शासन व्यवस्था को लोकप्रिय तौर पर 'कैबिनेट व्यवस्था' या 'सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप' भी कहा जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि देशों में प्रचलित है।
- संसदीय सरकार को 'उत्तरदायी सरकार' इसलिये कहा जाता है क्योंकि मंत्रिपरिषद् (कार्यपालिका) विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसका कार्यकाल तब तक चलता है, जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है।
- संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में केंद्रित होती हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों से बड़ा या छोटा न होकर अपने समकक्षों में प्रथम होता है।
- भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के लिये सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है।

संसदीय प्रणाली के नकारात्मक पक्ष
(Negative Aspects of the Parliamentary System)

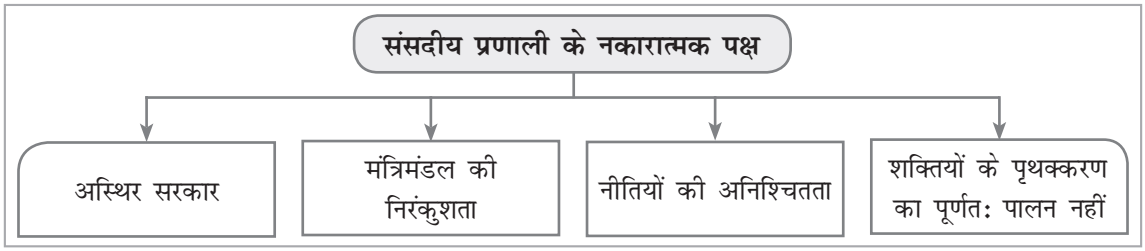

अस्थिर सरकार (Unstable Government)

अध्यक्षीय प्रणाली के विपरीत, संसदीय प्रणाली में सरकार की स्थिरता लोक सभा के विश्वास पर निर्भर करती है। यदि लोक सभा में सरकार के बहुमत पर संकट आ जाए तो सरकार के कार्यकाल पर भी संकट आ जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि लोक सभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार गिर जाती है।

मंत्रिमंडल की निरंकुशता (Autocracy of Cabinet)

संसदीय प्रणाली में देश के मुख्य फैसले मंत्रिमंडल द्वारा लिये जाते हैं। यदि सत्ताधारी पार्टी के पास लोक सभा में पूर्ण बहुमत हो, तो यह संभव है कि ऐसी सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाए और शक्तियों को और केंद्रीकृत करने लगे। लास्की के अनुसार "संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है।"

नीतियों और निर्णयों की अनिश्चितता (Uncertainty of Policies and Decisions)

संसदीय प्रणाली में सरकारें बहुमत पर निर्भर रहने के कारण दूरगामी व सुदृढ़ नीतियाँ बनाने की जगह सरकार बचाने के लिये लोकलुभावन एवं मतदाता केंद्रित फैसले लेती हैं। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था के अंतर्गत नवनिर्वाचित सरकार में पूर्ववर्ती सरकार के नीति-निर्णयों को बदल देने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है।

शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन (Violation of Separation of Powers)

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अविभाज्य होते हैं। बेगहॉट के अनुसार–"कैबिनेट, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य हाईफन जैसी भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है।"

संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण
(Reasons of Adoption of Parliamentary System)

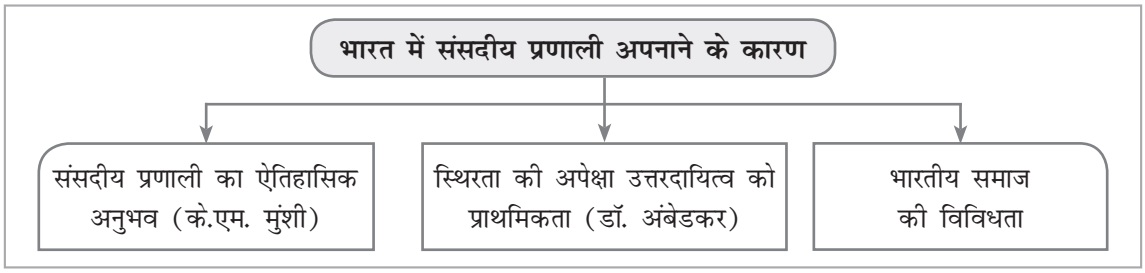

इकाई

12

संघीय विधायिका
(The Union Legislative)

- संसद
- राज्य सभा
- लोक सभा
- संसद के सदस्यों की अर्हताएँ
- संसद के सदस्यों की निरर्हताएँ
- स्थानों का रिक्त होना
- संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य अधिकार
- संसद सदस्यों की भूमिका
- राज्य सभा और लोक सभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन
- संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ
- संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष
- संसद के सत्र
- राष्ट्रपति का अभिभाषण
- गणपूर्ति
- सदन में मतदान
- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
- संसद में विधायी प्रक्रिया
- संयुक्त बैठक का प्रावधान
- संसदीय कार्यवाही
- विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव
- संकल्प
- वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट

संसद (Parliament)

- भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इस संसदीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों अपनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर विधान निर्मात्री संस्था का नाम 'संसद' है वहीं राज्यों की विधायिकाओं को 'विधानमंडल' कहते हैं।
- भारतीय संविधान के पाँचवें भाग में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल, सदस्य, विशेषाधिकार, प्रक्रिया और शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संसद में दो सदन हैं– राज्य सभा और लोक सभा। इसके उच्च सदन को 'राज्य सभा' तथा निम्न सदन को 'लोक सभा' कहते हैं।
- संविधान ने राज्यों को एक-सदनात्मक या द्वि-सदनात्मक व्यवस्था स्थापित करने का विकल्प दिया है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्वि-सदनात्मक विधायिका हैं, ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- संसद में दो सदन होने के पीछे तर्क यह है कि इससे देश और समाज के सभी क्षेत्रों व भागों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके तथा एक सदन द्वारा लिये गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विधेयक या नीति पर दो बार विचार होता है।
- यद्यपि, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है किंतु भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद के समान शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।
- जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे 'द्वि-सदनात्मक विधायिका' कहते हैं।

संसद का गठन (Constitution of Parliament)

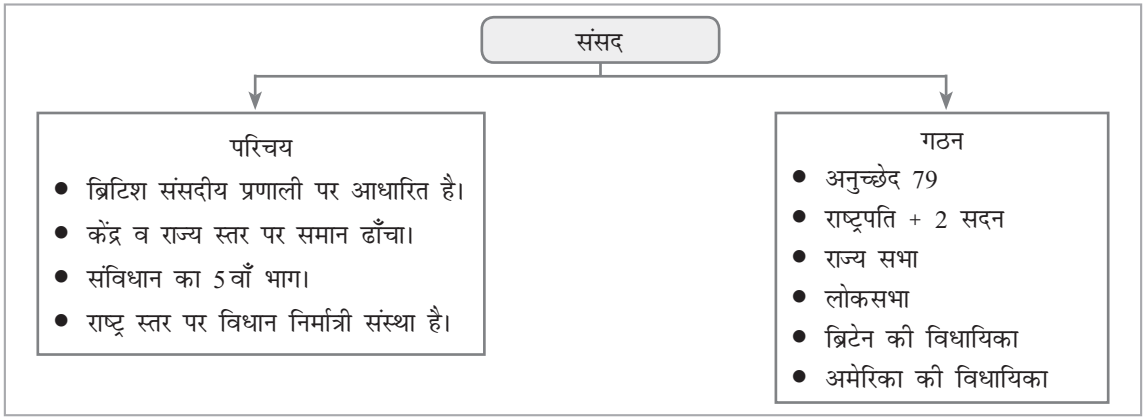

- अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।
- जहाँ राज्य सभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, वही लोक सभा में संपूर्ण भारत से प्रतिनिधि चुन कर आते हैं।
- राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग होता है, हालाँकि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ प्रमुख कार्य भी करता है, जैसे– दोनों सदनों को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोक सभा को विघटित करना और यदि सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करना आदि।
- ब्रिटिश विधायिका भी क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड (उच्च सदन) एवं हाउस ऑफ कॉमन्स (निम्न सदन) से मिलकर बनी है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका (कॉन्ग्रेस) सीनेट (उच्च सदन) और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निम्न सदन) से मिलकर बनी है। हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति कॉन्ग्रेस का अंग नहीं होता है।

संसद के कार्य (Functions of Parliament)

संसदीय प्रणाली में संसद विधि निर्माण के साथ-साथ अनेक कार्य करती है, जैसे–

विधि निर्माण (Legislation)

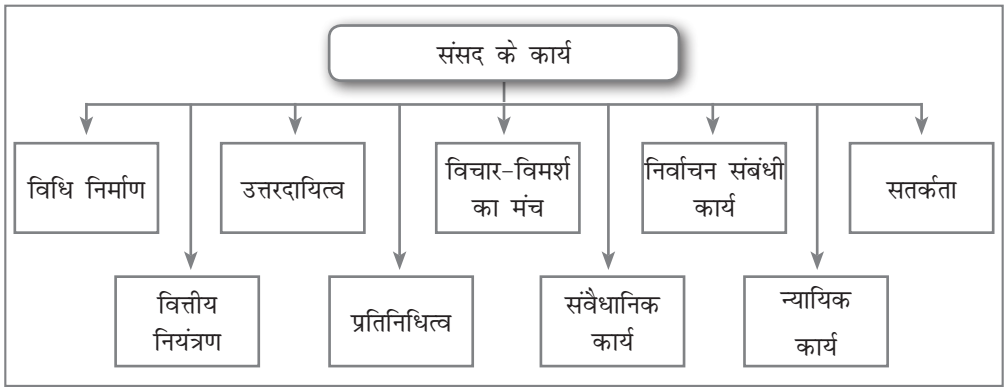

26.	मिजोरम	1
27.	नागालैंड	1
28.	सिक्किम	1
	कुल संख्या = 524	

केंद्रशासित प्रदेशों में लोक सभा सीटों का वितरण		
क्रम संख्या	**केंद्रशासित प्रदेश**	**लोक सभा सीटों की संख्या**
1.	दिल्ली	7
2.	जम्मू और कश्मीर	5
3.	लद्दाख	1
4.	अंडमान एवं निकोबार	1
5.	पुदुचेरी	1
6.	दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	1
7.	चंडीगढ़	2
8.	लक्षद्वीप	1
	कुल संख्या = 19	

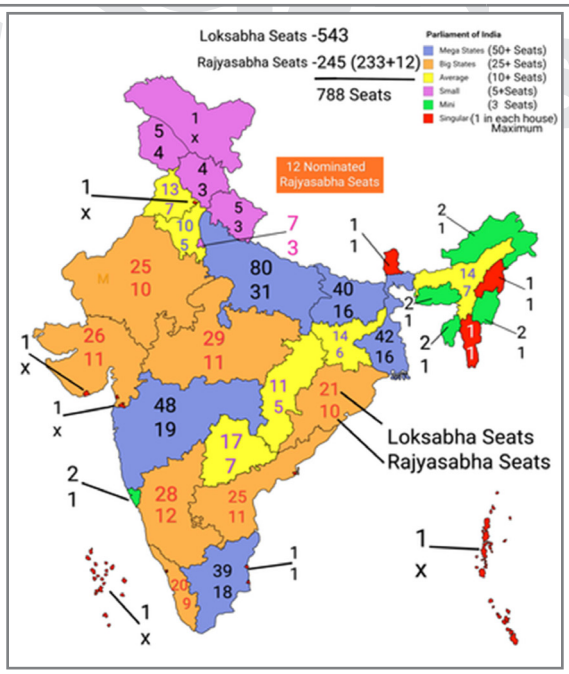

- स्थगन का अर्थ सदन की वर्तमान बैठक को समाप्त करना है जो अगली बैठक के लिये निर्धारित समय पर पुन: एकत्र होती है। स्थगन, सदन के उस संक्षिप्त अवकाश को भी व्यक्त करता है जो उसी दिन निर्धारित समय पर पुन: एकत्र होती है।
- स्थगन की घोषणा मुख्यत: सदन में गंभीर अव्यवस्था या भोजनावकाश के समय की जाती है।
- स्थगन की घोषणा, सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी करता है। सदन का स्थगन कुछ देर से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है।
- सामान्य समय में दिन की समाप्ति पर अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, सदन के आगामी कार्यदिवस निर्धारित करके सदन को स्थगित कर देता है।

अनिश्चित समय के लिये स्थगन (Adjournment Sine die)

- अनिश्चित समय के लिये स्थगन का अर्थ है, सदन की आगामी बैठक की तिथि निश्चित किये बिना सदन को स्थगित कर देना।
- सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी आगामी बैठक के समय की घोषणा नहीं करता है। सामान्यत: वर्तमान सत्र के अंतिम दिन सदन को अनिश्चित समय के लिये स्थगित किया जाता है।

सत्रावसान (Prorogation)

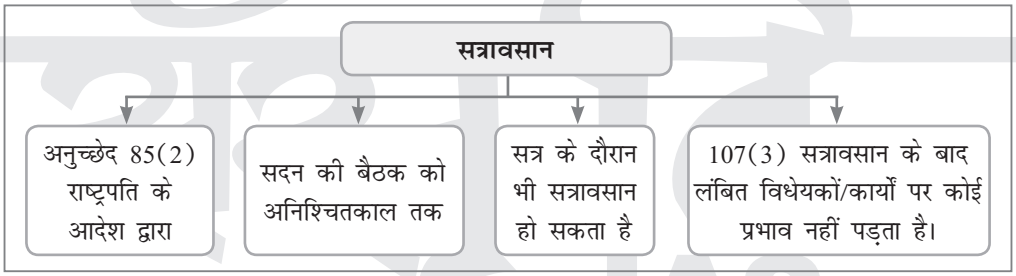

- अनुच्छेद 85(2)(क) के अंतर्गत, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सदनों का या किसी सदन के सत्र को समाप्त करना। सामान्यत: सत्रावसान सदन की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करने के बाद होता है।
- ध्यातव्य है कि सदन का स्थगन पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चित समय के लिये स्थगित करने के कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सत्रावसान की घोषणा करता है। राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार, सत्रावसान के परिणामस्वरूप सदन में लंबित विधेयकों या कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विघटन (Dissolution)

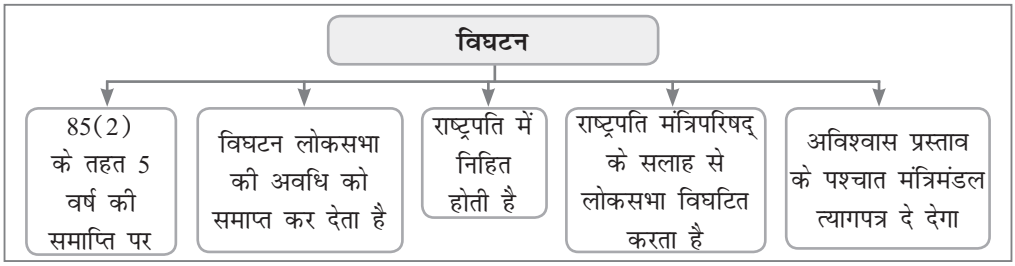

संस्कृति IAS

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

पढ़िये देश की सर्वश्रेष्ठ टीम से!

दिल्ली के साथ अब प्रयागराज में भी...

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री राजेश मिश्रा भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

सामान्य अध्ययन

फाउन्डेशन कोर्स (प्रिलिम्स+मेन्स)

लाइव बैच भी उपलब्ध

वैकल्पिक विषय

इतिहास
द्वारा – श्री अखिल मूर्ति

भूगोल
द्वारा – श्री कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान
द्वारा – श्री राजेश मिश्रा

दर्शन शास्त्र
द्वारा – श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)

सीसैट

कुल कक्षाएँ
120+
नियमित रिवीज़न

सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषयों के लिये ऑनलाइन/पेनड्राइव कोर्स भी उपलब्ध

यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा
टेस्ट सीरीज़
ऑफलाइन/ऑनलाइन

सामान्य अध्ययन एवं सीसैट
हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों माध्यम
Demo एक निःशुल्क डेमो टेस्ट
sanskritiIAS.com
sanskritiIAS app

हेड ऑफिस
636, भू-तल,
मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124

प्रयागराज केंद्र
7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग,
पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.